

फर्द अहकाम
(नियम 26)

जिल्ला मुकाम
बनाम
कदमा नं. _____ सन् _____

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
18/11/2019	<p>प्र शोना प्रदीप के अर्धवक्तव्यों की बहस सुनी गयी। प्रतापली वारंटे निर्गम के आश्रम में दिनांक 18-11-2019 को प्रेश हो।</p> <p style="text-align: right;">सहायक कलेक्टर एव उप खण्ड अधिकारी बिलाडा</p> <p>प्रतापली आश्रम प्रस्तुत हुई। कपुलाम प्रकर्मिक उपस्थित। वकील अर्धवक्तव्य को अंतर से एक प्रार्थना पत्र बरत शरिता को सुमि के बहस सुनि दिलाने का प्रेश किया। वकील अर्धवक्तव्य प्रार्थना पत्र का जम्ब प्रेश जहाँ का सिद्धी बहस में जागरण।</p> <p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 25(A) आश्रम अधिनियम के शोना प्रदीप के अर्धवक्तव्यों की बहस सुनी गयी। प्रार्थना पत्र बरत शरिता को सुमि के बहस सुनि दिलाने प्र गयी शोना प्रदीप के अर्धवक्तव्यों की बहस सुनी गयी।</p> <p>इस प्रार्थना पत्र का निर्गम अलग से लिखवशा व सुनाया जाकर शास्त्रिक निसल कावशा गयी।</p> <p style="text-align: right;">सहायक कलेक्टर एव उप खण्ड अधिकारी बिलाडा</p>	

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

प्राचीन पत्र व खत शब्दाची कृषि
के वरले कृषिचा वरी निर्णय
मूल प्राचीन पत्र अन्तर्गतद्वारा
25(A) R.T. Act-1953 के माध्य
ही किया गया।

आपका निर्णय के पालना
करने हेतु निर्णय की प्रमाणात
एति के जवाब व तहसीलदार
बिलाड़ा को पत्र लिख जाकर
निर्णय अनुसार पालना कें धरती
जावे।

पत्रावली प्रमुख शुमारक
जबका मे काम होकर शामिल
अन्तर है।

निर्णय को इजलास
अनुसार गया।


(अधीन कुमार)

सहायक कलेक्टर
एच उप खण्ड
बिलाड़ा